(29) HP/2014/RO
7/5/14
2.40 p.m

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

....लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग — I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं..संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम..पिता/माता/पति का नाम..

..............................इनका डाक पता..

इनका नाम..संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..............................(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ....में क्रम

संख्या..पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम..है जो..संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग..............................में क्रम संख्या..............................पर प्रविष्ट है।

दिनांक..   प्रस्तावक के हस्ताक्षर

भाग — II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नही खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वारा 09 अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम रमानन्द ऋषिदेव पिता / माता / पति का नाम कृष्ण ऋषिदेव

सा० ढोलामोहन तारटोला उसका डाक पता रहिकपुर ढोला मोहनपुर, फारबिसगंज, अररिया

उसका नाम 09 अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 48 फारबिसगंज विधान सभा

(मे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग स. 226 मे क्रम

संख्या 1219 पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते है कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक है तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते है।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	48 फारबिसगंज	226	1317	श्रवण कुमार	श्रवण कुमार	05.04.14
2	48 फारबिसगंज	226	1333	ब्रह्मदेव ऋषि	[illegible]	05.04.14
3	48 फारबिसगंज	226	1338	विनोद सिंह	विनोद सिंह	05.04.14
4	48 फारबिसगंज	226	1344	अवधेश लाल [illegible]	अवधेश लाल	05.04.14
5	48 फारबिसगंज	226	1239	प्रशान्त कुमार	प्रशान्त कुमार	05.04.14
6	48 फारबिसगंज	226	1402	चन्द्रानन्द ऋषिदेव	[illegible]	05.04.14
7	48 फारबिसगंज	226	1321	अरुण ऋषिदेव	[illegible]	05.04.14
8	48 फारबिसगंज	226	1147	शिवकान्त मंडल	शिवकान्त मंडल	05.04.14
9	48 फारबिसगंज	226	1257	शिव कुमार ऋषिदेव	[illegible]	05.04.14
10	48 फारबिसगंज	226	1390	सुरेन्द्र ऋषिदेव	सुरेन्द्र ऋषिदेव	05.04.14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस)निर्वाचक होने चाहिए।

भाग — III

मैं भाग I / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि —

(क) मैंने ......63...............वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,

निम्नलिखित ख (*i*) या ख (*ii*) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में ....शून्य............ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में ...लो०क०पा०... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i)...खेत जोतता किसान... (ii) ....(iii)..

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता / माता / पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी ....में (भाषा का नाम) सही हैं।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं .....मुसहर.............जाति / जनजाति का सदस्य हूँ जो.....अनु० जाति बिहार राज्य के उस में आता है

" उस राज्य में के ....शून्य.......(क्षेत्र) ....शून्य...........से संबंधित अनुसूचित...........शून्य...........

जाति / जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले" सामान्य निर्वाचन / उप–निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

[signature]

दिनांक 05.04.2014 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में सम्माविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★★★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III – क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

(i) (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में, या
(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

} हाँ / नहीं

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. / सं. ......शून्य......
(ii) पुलिस स्टेशन ......शून्य...... जिला (जिले) ......शून्य...... राज्य ......शून्य......
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था ......शून्य......
(iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें)......शून्य......
(v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था ....
(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपदर्शित............
(vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) ......शून्य......
(viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी / थीं
(ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
(x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया......शून्य......
(xi) क्या उक्त अपील (अपीलें) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे / वह अभी लंबित हैं......शून्य......
(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ......शून्य......
(ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) ......शून्य......

दिनांक 05.04.2014
स्थान [handwritten place name]

[signature]
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

C:\[illegible]\Prarup 26 Hindi.doc

भाग — IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देषन पत्र की क्रम संख्या 29/HP/2014/RO. यह नाम निर्देषन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में 05.04.2014 (तारीख) को 02.40 अपराह्न बजे को अभ्यर्थी / ~~प्रस्तावक~~ द्वारा दिया गया।

दिनांक 05.04.2014

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
09-अररिया संसदीय क्षेत्र

भाग — V

नाम निर्देषन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्चय

मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देषन पत्र को जाँच लिया है और मैं निम्नलिखित रुप में विनिष्चय करता हूँ :–

दिनांक ....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिदण) ....

G. Secretary
Dist. Bar Association

"प्ररूप 26"

(नियम 4 क देखिए)

COURT FEE
Authorization No. 2614
INDIA

Notary Araria

Ranjan Kumar Verma
Notary
Regd. No. 43/03
(4968J)
Araria (Bihar)

.... Affidavit No. 343/...

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 09 अररिया लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग–क

मैं रामानन्द ऋषिदेव **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० तुलो ऋषिदेव आयु 63 वर्ष, जो ग्राम टोला मोहनपुर वार्ड टोला रहिकपुर टोला मोहनपुर अंचल फारबिसगंज जिला अररिया 854318 बिहार (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

(1) मैं लोकदल (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूं

** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 48 फारबिसगंज (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 226 के क्रम सं. 1219 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. मो० नं० 7739945991 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है शून्य

Ranjan Kumar Verma
Notary
Regd. No. 43/03
(4968J)
Araria (Bihar)

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थितिः

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित–1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित–2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित–3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अनिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगीः–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968J)
Araria (Bihar)

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त
मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:–

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/निविधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/83
(4968J)
Araria (Bihar)

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	एस बी आई अररिया 10000/ शून्य	शून्य	–	–	–
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	–	–	–	–	–
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	–	–	–	–	–
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	–	–	–	–	–
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	–	–			
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षक संख्यांक(संख्याएं)	51 डि	—	—	—	—
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	51 डि				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	—	—	—	
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	20 वर्ष पूर्व	—	—	—	—
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	5,00000		—	—	
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	—	—	—	—
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य				
(ii)	गैर कृषि भूमिः अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	75 डि	—	—	—	—
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हाँ	—		—	—
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	पूर्वज		—	—	
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	7,00000	—	—	—	—
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोइ विनिधान	—	—	—	—	—
	अनुमानित बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	—		—	—	—
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	—			
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	—	—	—		
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	—	—	—	—	—

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	—	—		—	—
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)		—			—
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोइ विनिधान	—	—	—		—
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	—	—	—		—
	क्षेत्र(वर्ग फूट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नही)	—	—		—	
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख			—		
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)				—	
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोइ विनिधान	—	—		—	—
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से(V) का कुल चालू बाजार मूल्य	—	—	—	—	—

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:–

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	—	—	—	—	—
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	—	—	—	—	—
	कोई अन्य दायित्व					

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/05
(4968)
Araria (Bihar)

	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	—	—	—	—	—
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	—	—	—	—	—
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	—	—	—	—	—
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	उपलब्ध नहीं	—	—	—	—
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	उपलब्ध नहीं				
	आय–कर शोध्य					
	धनकर शोध्य					
	सेवाकर शोध्य	—	—	—	—	—
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य					
	विक्रयकर शोध्य	—	—	—	—	—
	कोई अन्य शोध्य					
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	—	—	—	—	—
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	—	—	—	—	—

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरेः

(क) स्वयं........ सिक्षक सरकारी सेवा निवृत

(ख) पति या पत्नी........ गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:–

.... आई· एस· सी० परीक्षा उतीर्ण ....

....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धहरण

1	अभ्यर्थी का नान	श्री / श्रीमती / कु0 रामानन्द ऋषिदेव
2	डाक का पता	रहिकपुर, हीलामोहनपुर फारबिसगंज, अररिया, बिहार
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	09 अररिया लोकसभा अन्तर्गत 48 फारबिसगंज, अररिया, बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	लोकदल
5	(i)ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य

		.... का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
7	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No-43/03 (4968)
Araria (Bihar)

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	—	—	—	—	—
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	—	—	—	—	—
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	—	—	—	—	—
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	—	—	—	—	—
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	—	—	—	—	—
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	—	—	—	—	—
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	—		—	—	—
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	—	—	—	—	—
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: आई० एस० सी० पटना कॉलेजिएट (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरें दें।)					

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No. 43/03
(49681)
Araria (Bihar)

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.43/03
(4968))
Araria (Bihar)

Notary Araria

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:–

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

Authenticated U/S 56 of the Indian evidence Act (Act 1 of 1872) read with S (8) (e) of the Notaries Act (Act 53 of 1952)

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05.04.14 को सत्यापित किया गया।

who is identified by Md. N. Zaman Advocate solemnly affirmed and declare before me

अभिसाक्षी

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.43/03
(4968))
Araria (Bihar)

टिप्पणः 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं मो० नं० 7739945991

मेरा ई–मेल आई0डी0 (अगर कोई हो) है शू०य०

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है शू०य०

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No. 43/03 (4968) Araria (Bihar)

RKV 05/04/24
RANJAN KR. VERMA
NOTARY
ARARIA BIHAR (INDIA)